

## <u>प्रेस नोट</u> <u>जनपद सीतापुर</u> <u>गैंगेस्टर का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार</u>

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा दिनांक 22.11.2020 को मु0अ0सं0 342/2020 धारा 2/3 उ०प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर में वांछित अभियुक्त भंडारी उर्फ जियाउद्दीन पुत्र जलालुद्दीन उर्फ खजान्ची नि0 चांदपुर लोधौनी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जो दिनांक 10.11.2020 से वांछित चल रहा था। अभियुक्त भंडारी उपरोक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जो अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अपराध कारित करता है। अभियुक्त की संपत्ति का पता लगाकर अपराध से अर्जित संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

## अभियुक्त का नाम व पता-

भंडारी उर्फ जियाउद्दीन पुत्र जलालुद्दीन उर्फ खजान्ची नि0 चांदपुर लोधौनी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर

## आपराधिक इतिहास

- 1. मु०अ०सं० २७२/१९ धारा ३८० भा.द.वि. थाना रामपुर मथुरा सीतापुर
- 2. मु0अ0सं0 174/20 धारा 379 भा.द.वि. व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना रामपुर मथुरा सीतापुर
- 3. मु०अ०सं० ३४२/२० धारा २/३ उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर

## गिरफ्तार करने वाली थाना रामपुर मथुरा पुलिस टीम -

- 1. थानाध्यक्ष श्री सुरेश चन्द्र मिश्रा
- 2. का0 संजीव कुमार
- 3. म0आ0 अनु चौधरी

